सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 118/2018

दायर दिनाँक 16.04.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. भगवानसिंह पुत्र महावीरसिंह, उम्र–38साल, जाति–राजपूत, निवासी–बरांगना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रामसिंह पुत्र महावीरसिंह, 2. लक्ष्मणसिंह पुत्र महावीरसिंह, 3. उम्मेदकँवर पत्नी महावीरसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–बरांगना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. मुन्नीकँवर पुत्री महावीरसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–गोठड़ा, तहसील–नवलगढ, जिला–झुन्झुनूँ, राजस्थान, 5. चाँदकँवर पुत्री महावीरसिंह पत्नी रघुवीरसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–मण्डावरा, तहसील–उदयपुरवाटी, जिला–झुन्झुनूँ, राजस्थान, 6. उमरदराजखाँ पुत्र समदरखाँ, 7. जहाँगीरखाँ पुत्र समदरखाँ, 8. मनवरखाँ पुत्र समदरखाँ, 9. अजीजखाँ पुत्र समदरखाँ, 10. जैतून पत्नी समदरखाँ, 11. नूरजहाँ पुत्री समदरखाँ, 12. आमीना पुत्री समदरखाँ, 13. अनीसा पुत्री समदरखाँ, समस्त,जाति–कायमखानी, निवासी–निम्बीकलाँ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान. 14. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. पक्षकारान् उपस्थित।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 118 / 2018
दायर दिनाँक 16.04.2018, प्राथमिक निर्णय दिनाँक 25.05.2018
भगवानसिंह बनाम् रामसिंह, वगैरा।

–:: प्राथमिक निर्णय ::–

दिनाँक **25.05.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 स्वर्गीय महावीरसिंह के पुत्र, पत्नी व पुत्रियाँ हैं। महावीरसिंह का स्वर्गवास दिनाँक 16.12.2008 को हो चुका है। मृत्यु प्रमाण–पत्र की छायाप्रति पेश है।

वाकै शरहद बरांगना में खेत खसरा नम्बर 439 रकबा 12.03 बीघा तथा खसरा नम्बर 415 रकबा 48.01 बीघा भमि वादी के पिता महावीरसिंह की खातेदारी व कब्जाकाश्त की थी। महावीरसिंह ने अपने हिस्सा खसरा नम्बर 415 रकबा 48.01 बीघा में से रकबा 10.00 बीघा भूमि प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 13 के पिता समदरखाँ को बैचाण कर दिया, जो कि भूमि स्वर्गीय समदरखाँ की खातेदारी में दर्ज है। मगर समदरखाँ के स्वर्गवास होने के कारण उनके जायज वारिशान् प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 13 को पक्षकार बनाया गया है।

उक्त विक्रीत रकबा 10.00 बीघा को छोड़कर शेष 50.04 बीघा पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 रामसिंह व लक्ष्मणसिंह 1/3 – 1/3 हिस्सा पर काबिज हैं। मौके की स्थिति अनुसार नजरीनक्शा पेश है। प्रार्थना वादी है कि,

वाकै शरहद बरांगना में खेत खसरा नम्बर 439 रकबा 12.03 बीघा व खसरा नम्बर 415 रकबा 48.01 बीघा में से रकबा 50.04 बीघा में से 1/3 हिस्सा का वादी को खातेदार घोषित किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 14 को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 14 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 03, 04, 05 व 09 ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझायी गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

अजीतसिंह राठोड़ ने की तथा प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री विश्वनाथप्रतापसिंह ने की है। हस्ब दरख्वाहिश राजीनामा पेश किया गया।

वादी ने वाद के समर्थन में शपथ–पत्र, नजरीनक्शा, जमाबन्दी ग्राम बरांगना सम्वत् 2073–2076 खेवट संख्या 228/212 व 300/282 की प्रमाणित प्रतिलिपि, नक्शा ट्रेश व महावीरसिंह की मृत्यु दिनाँक 16.12.2008 की छायाप्रति पेश की है।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प–बरांगना में प्रकरण पेश हुआ। पक्षकारान् उपस्थित। पक्षकारान् वाद में प्राथमिक निर्णय किया जाने की मंशा जाहिर कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं साक्ष्य के अनुसार शरहद मौजा बरांगना के वादग्रस्त भूमि के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 13 सहखातेदारान् हैं तथा विधिवत् बन्टवारा करवाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। पक्षकारान् सहखातेदार होने के कारण बन्टवारा करवाने के कानूनन् हकदार है।

अतः वादी का वाद प्राथमिक डिक्री सादिर किया जाता है।

<u>आदेश</u>

दावा प्राथमिक डिक्री सादिर कर, मौजा बरांगना की शरहद बरांगना में खेत खसरा नम्बर 439 रकबा 12.03 बीघा तथा खसरा नम्बर 415 रकबा 48.01 बीघा भूमि के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 13 के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने का आदेश तहसीलदार डीडवाना को दिया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव में, पक्षकारान् को विभाजन से उनके हिस्सों में आने–जाने हेतु रास्ते की सामुहिक भूमि प्रस्तावित करते हुए, विभाजन प्रस्ताव दौ प्रतियों में तैयार कर, पेश किया जावे।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–बरांगना

प्राथमिक निर्णय, आज दिनाँक **25.05.2018** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–बरांगना

Scanned by CamScanner